न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 70/2021 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2021/211

उनवान

1. विश्वेन्द्र सिंह पुत्र रामबाबू
2. मनकेश पुत्र रामबाबू
3. सौरभ कुमार पुत्र रामबाबू
4. कविता कुमारी पुत्री रामबाबू

} जातियान जाट निवासी जहॉगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. उर्मिला पत्नी जवाहर सिंह
2. सवित्री पत्नी लोकेन्द्र सिंह

} जाति जाट निवासी जहॉगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय नदबई
4. सरपंच ग्राम पंचायत जहॉगीरपुर तहसील नदबई
5. सब रजिस्ट्रार महोदय भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 118/21 बउनवानी विश्वेन्द्र सिंह बनाम उर्मिला में पारित आदेश दिनांक 04.08.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.01.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 118/21 बउनवानी विश्वेन्द्र सिंह बनाम उर्मिला में पारित आदेश दिनांक 04.08.2021, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पूर्वजों की खातेदारी की आराजी है। जो हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजी है। अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता.फैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी में मदाखलत व

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मजाहमत न करें, रहन वय मुन्तकिल न करें तथा प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स को बेदखल न करें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.08.2021 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1873/0.25 का 25/56 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1879/0.06 का 4/25 हिस्सा वाके ग्राम जहॉगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर है। जो प्रतिवादी सं. 2 के नाम खातेदारी में अंकित है। यह आराजी प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पूर्वजों की आराजी है। जो प्रार्थीगण के बाबा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पिता भुजमल की खातेदारी की आराजी है, जो हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आराजी मे अपीलार्थीगण का हिस्सा मानते हुए भी खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अपीलार्थीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के सहदायिक है तथा उनके सहदायिक को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति मे प्रत्येक सहदायिका का समान अधिकार होता है। प्रतिवादी सं. 1 के कोई संतान नही है आराजी पर अपीलार्थीगण मौके पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ शामिल रुप से काबिज चले आ रहे है और उन्हें जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। प्रतिवादी सं. 2 वृद्ध व्यक्ति है तथा उनको सोचने–समझने की शक्ति नही है उत्तरवादी सं. 1 व 2 के पति जवाहर सिंह एवं लोकेन्द्र के बहकावे में आकर प्रतिवादी सं. 2 के खसरा नम्बर 1873/0.25 है0 के 16/50 हिस्सा का उत्तरवादी सं. 1 के लिए तथा 177/1400 हिस्सा उत्तरवादी सं. 2 के लिए खसरा नम्बर 1879/0.06 का 8/50 हिस्सा उत्तरवादी सं. 2 सावित्री के हक में तहरीर करा लिया है, जबकि अपीलार्थीगण का पिता रामबाबू प्रतिवादी सं. 2 को हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित विवादित आराजी को बिना अन्य सहदायिका की सहमति के विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नही है। विवादित आराजी के बाजारु कीमत भी कम लगायी है उक्त विक्रय पत्र को प्रतिवादी सं. 2 रामबाबू तहरीर कराने की कोई जानकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि भुजमल से जरिये विरासत अपीलार्थीगण एवं अन्य उत्तरवादीगण सहभागीदारान ने 18 बीघा जमीन प्राप्त की है और इसलिए अपीलार्थीगण के नाम 9 बीघा जमीन आ रही है और अपीलार्थीगण चार वारिसान है तथा प्रतिवादी सं. 1 रामबाबू है इस प्रकार पॉच वारिसान 9 बीघा आराजीयात में बनते है और 9 बीघा से अपीलार्थीगण व प्रतिवादी रामबाबू के नाम 28 एयर रकबा हिस्सा से आता है जिसे विक्रय करने का रामबाबू को अधिकार है, कतई गलत है। इसका कोई अधिकार नही है। इस प्रकार अटकल एवं कयासो पर खण्डनाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने देने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 04.08.2021 निरस्त किया जावे व प्रार्थना–पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा उत्तरवादीगण के विरुद्ध अविभाजित स्थगन जारी किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 1873/0.25, 1879/0.06 वाके ग्राम जहॉगीरपुर तहसील नदबई स्थित है। जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स भगवान सिंह, रामबाबू पिसरान भुजमल से प्रतिफलराशि अदा कर खरीद किया था तथा तभी से ही हमने कब्जा भी ले लिया था और मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वक्त बयनामा प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2021 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 26.08.2021 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट.1955 के साथ पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 पेश किया गया। दिनांक 08.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से केवियट प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिसमें उनकी ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह चौधरी उपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने उनकी ओर से जबाब प्रार्थना–पत्र पेश करने को कहा गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली शेष अप्रार्थी सं. 3 से 5 एवं जबाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 हेतु दिनांक 04.08.2021 तारीख पेशी नियत की। दिनांक 04.08.2021 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जबाब पेश नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर यह आदेश पारित किया कि :– **"हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन आया तो पाया कि प्रार्थना–पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1873 व 1879 वाके जहांगीरपुर पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी भुजमल सिंह को जरिये विरासतन करीब 18 बीघा प्राप्त हुई है। जो कि केवियतकर्ता वकील द्वारा प्राप्त जमाबंदीयों से साबित है। उक्त 18 बीघा आराजी में से वादीगण प्रार्थीगण के नाम 9 बीघा आराजी आती है तथा वादीगण 4 वारिसान है। तथा हक प्रतिवादी सं. 2 रामबाबू है– इस प्रकार 5 वारिसान– 9 बीघा आराजीयात में बनते है। तथा 9 बीघा आराजी में से वादीगण व प्रति. रामबाबू के नाम करीब 28 एयर रकबा हिस्सा में आता है यानि 28 एयर रकबा को प्रति. रामबाबू को बेचान करने का अधिकार है तथा रामबाबू ने जो रकबा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को बेचान किया है। वह करीब 24 एयर रकबा बेचान किया गया है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा भी दावा पेश करते समय पूरी आराजीयात का नही लिखा गया है। इसलिए प्रार्थीगण प्राईमाफेसी के हक में ना होकर अप्रार्थीगण के हक में साबित प्रतीत**

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

होता है। शेष तथ्यों केबियटकर्ता के जबाब पेश करने व दोनों पक्षों की शहादत लेने के बाद कोर्ट के समक्ष आयेगा– इस स्टेज पर अप्रार्थीगण को स्थगन से पाबंद नही किया जा सकता है। शेष अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी है। वास्ते जबाब प्रा.पत्र रखी। तलबी शेष होकर 10.09.2021 को पेश हो।"

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम रुप से सुनकर इस स्टेज पर अप्रार्थी को स्थगन से पाबन्द नहीं किया जाना पाया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने न्यायिक दृष्टांत 2014(1) RRT 409 जगदीश प्रसाद बनाम गोपाल राम वगैरह में निर्णय दिनांक 12.03.2014 में अस्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में बिन्दू सं. 78 के उपबिन्दु 6 में निम्न प्रकार निर्देश दिए हैं :–

(6) A new trend has emerged that when the Trial Court chooses not to passan ad-interim ex-parte order on an application of temporary injunction, and issues notices to the non-applicants to appear and to file their objections, if any, on the next date of hearing, in the meantime the applicant prefers an appeal before the First Appellate Court to obtain the interim order of temporary injunction. In such cases, where the proceedings are still in progress with the Trial Court and no order has been passed either way, there is no reason to unnecessarily disturb the independent functioning of the Trial Court. In appropriate cases directions for early disposal of such applications can be given.

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 04.08.2021 अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है एवं पत्रावली अन्तिम रुप से निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है। इस प्रकार के पारित आदेशों के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.09.2021 को विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदत्त किए थे जिनको यथावत रखते हुए उपर्युक्त क्रम में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण सं. 118/2021 उनवानी विश्वेन्द्र सिंह बनाम उर्मिला वगैरह को आगामी 2 माह में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अन्तिम रुप से निस्तारित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पुनः भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर